

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढा

अपील संख्या 88/18

तारीख रज्जू- 18.10.18

घनश्याम पुत्र श्री बदरी जाति मीना आयु 62 साल निवासी ग्राम भारजा नदी जिला
सवाईमाधोपुर। -अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर

-रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक- 25.4.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 66/16 में पारित निर्णय दिनांक 15/09/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भारजा नदी के आराजी ख0न0 1077/2099 तथा 1965/2100 रकबा 0.15 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्धदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काशत नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का परघातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करवाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतीचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर सू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशंसा की है। साथ ही पटवारी हल्का के बयान संलग्न है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण पर कब्जा किया हुआ है, यदि अपीलान्त की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा जो कि परोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मैं परोकार सरकार की बहस से सहमत हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/09/2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.4.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर